

प्रेषक,

एल.एम. पन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक: 27 :जुलाई, 2010

विषय:-13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर वर्ष 2010-11 के लिए समस्त जिला पंचायतों को प्रथम किश्त हेतु संक्रमित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010-11 की प्रथम किश्त हेतु कुल धनराशि **रु0 55040000.00 (रु0 पाँच करोड़ पचास लाख चालीस हजार मात्र)** को संलग्नक के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी।
3- 13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:-

(1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) पेयजल (5) परिसम्पत्तियों का निर्माण (6) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4- जिला पंचायतों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

5- जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित जिला पंचायत को धनराशि चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

6- अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अध्यक्ष जिला पंचायत के प्रतिहस्ताक्षर से दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 तक उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। यदि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये अपर मुख्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

श्री. खन्ना
श्री. मन्ना
कानून विभाग
पुनः लिखित

12/12/10
12/12/10

7- संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

8-संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

9- संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

10- संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-02-पंचायती राज संस्थायें-196-जिला पंचायतें/परिषदें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-13वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोक्त।


भवदीय,
26/7/2011
(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।

संख्या 422 / XXVII (1) / 2010, तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड-देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे दिनांक:15.12.2010 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र सचिव, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्प्लेक्स नई दिल्ली।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,


o/c (एल0एम0 पन्त) 26/7/2010
सचिव, वित्त।


शासनादेश संख्या: 422/XXVII (i) / 2010

दिनांक: 27:जुलाई,2010 का संलग्नक।

13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु जिला पंचायतों को देय संकमण।

(धनराशि हजार में)		
क्र०सं०	जिला पंचायत	वर्ष 2010-11 हेतु देय प्रथम किश्त
1	2	3
1	अल्मोड़ा	4704
2	बागेश्वर	1667
3	चमोली	3919
4	चम्पावत	1417
5	देहरादून	4511
6	हरिद्वार	6187
7	नैनीताल	3132
8	पौड़ी गढ़वाल	11462
9	पिथौरागढ़	4041
10	रुद्रप्रयाग	1731
11	टिहरी गढ़वाल	4592
12	उत्तरकाशी	3025
13	ऊधमसिंह नगर	4652
	योग:-	55040

(रु० पाँच करोड़ पचास लाख चालीस हजार मात्र)


26/7/2010